No. S-11018/2/2017-SBM
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin)

4th Floor, Pt. Deendayal " Antyodaya Bhawan"
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003

Dated 03.04.2017

To

The Principal Secretary/ Secretary in-charge of Rural Sanitation,
All States/UTs

Subject: Guidelines on Gender issues in sanitation

Madam/Sir,

The SBM (G) focuses on achievement of complete Open Defection Free (ODF) villages, it has been observed that number of women are coming to the forefront of the campaign to end open defecation.

2. Accordingly, the guidelines has been evolved to define the activities of Gender issues in sanitation at Annexure. It is hoped that this guidelines will prove useful to the States/UTs.

3. I am sure you will bring the above issues to the notice of the implementing machinery in your State, especially at the district level and below, in all the relevant departments, for due compliance. I shall also be happy to receive any queries or comments from you in the matter. I would like to hear from you about any initiatives taken by your states to ensure gender equality and the empowerment of women and girls with respect to sanitation. Selected stories of exceptional work done in this direction will be recognized and shared on the national platform.

(Arun Baroka)
Joint Secretary
Tel:011-24362192
Email: arun.baroka@nic.in

Copy to:

1. State Coordinators, SBM-G of all States/UTs
2. Mission Directors, SBM-G of all States/UTs

स्वच्छता में लैंगिक मुद्दों के लिए दिशा-निर्देश

आज जब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) अपने क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वच्छता में लैंगिक मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। यह सच है कि सफाई की घटिया व्यवस्था और निरंतर खुले में शौच की प्रथा का सबसे भारी बोझ महिलाओं और किशोरियों को सहना पड़ता है। जब भी महिलाएं और किशोरियां खुले में शौच करती हैं तो उन्हें गोपनीयता की कमी, व्यक्तिगत सुरक्षा, यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें मूत्र मार्ग में संक्रमण, पुराना कब्ज़ और मानसिक तनाव जैसे कई स्वास्थ्य-संबंधी जोखिम उठाने पड़ते हैं। साथ ही जब युवा किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म होता है तब उन्हें खुले में शौच के नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पडता हैं। गोपनीय और सुरक्षित जगहों के अभाव में किशोरियां और महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अपने निजी अंगों की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाती हैं और इस कारण उनकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिसमें स्कूल जाना भी शामिल है।

2. आज जब खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के अभियान में महिलाएं सबसे आगे हैं और उनकी संख्या भी निरंतर बढ रही है तो निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श उल्लेखनीय है।

स्वच्छता में महिलाओं की भूमिका

3. संचार के माध्यमों से स्वच्छता से संबंधित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन में महिला समुदायों की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है। और इस दृष्टि से स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी को योजना बनाने में, खरीद में, शौचालय निर्माण और जांच में और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है। चूंकि एसबीएम-जी का क्रियान्वयन सामुदायिक भागीदारी पर केन्द्रित है, इसलिए यह ज़रूरी है कि महिलाएं व्यवहारगत परिवर्तन की गतिविधियों के साथ-साथ उन संस्थाओं की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हों, जो शौचालय निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी हैं (ग्राम, जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), अभिप्रेरक, खरीद समिति इत्यादि)। एसबीएम-जी दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार वीडब्ल्यूएससी में 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। यह राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय शासन में महिलाओं के बढ़ते हुए नेतृत्व की प्रवृत्ति को देखते हुए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व एसबीएम-

जी समिति, वाश (जैसे कि निगरानी) समिति, वीडब्ल्यूएससी व ग्राम, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति (वीडब्ल्यूएसएससी) के नेतृत्व में भी होना चाहिए, जिससे गाँव और समुदायों को न केवल महिलाओं की भागीदारी का लाभ मिले बल्कि उनके नेतृत्व का भी।

आईईसी/ बीसीसी की संदेश प्रणाली

4. यह देखा गया है कि व्यवहारगत परिवर्तन संदेश प्रणाली में प्रायः `महिलाओं की शर्म और गरिमा' जैसे विषय शामिल होते हैं। हालांकि, यह भाषा आरंभिक संदेशों के लिए उपयोगी हो सकती है, इसमें खतरा यह है कि यह संदेश पुरुषों द्वारा नहीं अपनाए जाएंगे और लिंग संबंधी रुढ़ीवादी विचारों को और मज़बूत करेंगे (जैसे कि महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, पुरुष महिलाओं की गरिमा के संरक्षक होते हैं इत्यादि)। इसलिए आईईसी/बीसीसी की संदेश प्रणाली लिंग संवेदनशील होनी चाहिए और पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लक्षित होनी चाहिए, ख़ास कर पुरुषों पर, जो कि ग्रामीण परिवारों में घर खर्च से संबंधित मुद्दों के लिए मुख्य निर्णयकर्ता होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक भाई द्वारा अपनी बहन को शौचालय उपहार में देना या किसी गाँव के खुले में-शौच-मुक्त न होने पर उसके सरपंच का अपनी मूछें उतारने की घोषणा करना - ऐसे किस्से, कहानियाँ लिंग संबंधी रुढ़ीवादी विचारों को मज़बूत करते हैं और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कमज़ोर और निष्क्रिय रूप में चित्रित करते हैं। एसबीएम-जी की संदेश प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनजाने में भी वह ऐसे लिंग पक्षपात का प्रचार न करे। बल्कि एसबीएम-जी आईईसी/बीसीसी को ऐसी कहानियाँ लोकप्रिय करनी चाहिए जिनमें प्रभावशाली और सफल महिलाएं स्वच्छता की चैंपियन हैं, जिससे पूरे देश में महिलाओं को अपनी किस्मत, स्वास्थ्य और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। इसके उदाहरण हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), जो अन्य गतिविधियों के अलावा सैनी मार्ट (Sani Marts) की भी ज़िम्मेदारी लेती हैं और राजमिस्त्री की तरह काम करती हैं, किशोरियां, जो मासिक धर्म स्वच्छता पर खुल कर बोलती हैं और जागरूकता बढ़ाती हैं और जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य जिला स्तर के नेता, जो उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने जिले को खुले में शौच-मुक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

शौचालयों का रख-रखाव

5. शौचालय की साफ़-सफाई को एक गन्दा काम माना जाता है और पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण, यह काम अक्सर घर की महिलाओं को करना पड़ता है। एसबीएम-जी को

विशेष रूप से इस विचार को बढ़ावा देना चाहिए कि शौचालय का प्रयोग करने के पश्चात उसकी साफ़- सफाई की ज़िम्मेदारी, लिंग निरपेक्षता से परिवार में हर सदस्य की है।

6. परिवार के बाहर भी, शौचालय के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी बराबर की है। समुदायों में शौचालय के रख-रखाव के विषय में एसबीएम-जी को सार्वभौमिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए जिससे परिवारों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सामुदायिक स्थानों में शौचालय के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी, जाति इत्यादि जैसे कारकों पर आधारित न हो। समुदाय के सभी सदस्यों को बताना चाहिए कि ट्विन-पिट शौचालय में पिट को बंद करने के एक साल बाद, पिट की विघटित सामग्री, छूने और संभालने के लिए सुरक्षित होती है, उसे कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पिट को बदलने और पिट की खाद को निकालने के कार्य गंदे या असुरक्षित नहीं होते हैं और न ही यह कार्य केवल महिलाओं की ज़िम्मेदारी होती है।

समावेशिता

7. कई समुदायों में, तीसरा लिंग अक्सर समाज की मुख्य धारा से कटा होता है। एसबीएम-जी को सजगता से यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें बराबर के नागरिक और शौचालय के उपयोगकर्ता की मान्यता मिले। उन्हें अनुमति होनी चाहिए कि वे अपनी पसंद के (पुरुष या महिला) सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कर सकें। देश में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ तीसरे लिंग के लोग स्वच्छता चैंपियन बने हैं और समुदाय तक स्वच्छता का संदेश ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ उपयुक्त हो, सामुदायिक भागीदारी के लिए उनका समर्थन लेना चाहिए, उनके प्रयासों को मान्यता और सम्मान देना चाहिए ताकि उनसे जुड़े कलंक को तोड़ा जा सके और वे बिना किसी शर्मिंदगी के सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें।

8. आयु संबंधी बाधाओं के कारण बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए रोज़मर्रा के कार्य करते समय घायल होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें शौचालय और अन्य सार्वजानिक सुविधाओं का इस्तेमाल भी शामिल है। अक्सर बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं जोड़ों के दर्द के कारण उकड़ूं नहीं बैठ पातीं और कई बुज़ुर्ग महिलाएं आधे खड़े-आधे बैठे अवस्था में ही शौच कर लेती हैं। गर्भवती महिलाएं भी इस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करती हैं। शौचालयों की बुरी डिजाइनिंग बच्चों को भी उनका उपयोग करने से रोकती है क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है या फिर

गड्ढे में गिरने का डर होता है। अक्सर सामान्य शौचालयों की बनावट विकलांग लोगों (पुरुष और महिला दोनों) द्वारा उपयोग के लिए अनुकूल नहीं होती है।

9. इसलिए एसबीएम-जी के अंतर्गत शौचालयों का ऐसा समावेशी डिजाईन अपनाया जाना चाहिए जिससे वह बाधा-मुक्त हो सकें। शौचालय में पर्याप्त रौशनी और हवा होनी चाहिए ताकि गिरने का डर न रहे, फर्श में हल्की ढलान होनी चाहिए ताकि पानी नाली में बह जाए, फर्श सूखा रहे और फिसलने का खतरा न हो। सार्वजनिक शौचालयों में, अन्दर और बाहर भी, वयस्कों और बच्चों के लिए अलग-अलग ऊंचाई पर उपयुक्त ढलान वाला फलांग और सहायता के लिए हैंडल-बार होना चाहिए और बुज़ुर्ग, युवा और दिव्यांग जनों के लिए उठी हुई शौचालय की सीट होनी चाहिए। सामुदायिक और सार्वजानिक शौचालयों के डिजाईन पर दोबारा ग़ौर करना चाहिए ताकि वे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए सुलभ हो सकें और उन्हें इस्तेमाल करने का प्रोत्साहन मिले। अगर सामुदायिक और सार्वजानिक शौचालयों में उपयोगकर्ता शुल्क लागू किया जाता है तो बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए रियायतें देनी चाहिए ताकि उन्हें इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने का प्रोत्साहन मिले ।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम)

10. मासिक धर्म एक साधारण जैविक प्रक्रिया है और एसबीएम-जी मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित किशोरियों और महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है। इस दिशा में, 2015 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने कुछ दिशा-निर्देश ज़ारी किए थे जो एमडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। एसबीएम-जी के क्रियान्वयन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की सुविधाओं की व्यवस्था करते समय कुछ ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए जैसे पर्याप्त जगह, पानी की उपलब्धता, सेनेटरी पैड के निपटान की व्यवस्था, गोपनीयता और पर्याप्त वायु संचार । कुछ बिंदु जो ध्यान में रखे जा सकते हैं, वह इस प्रकार हैं:

- महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों में सुरक्षित और निजी प्रवेश द्वार होना चाहिए और शाम के समय पर्याप्त रौशनी होनी चाहिए। शौचालय के स्थान का निर्धारण भागीदारी प्रक्रिया के द्वारा तथा उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर आधारित होना चाहिए। शौचालय पहुँचने का रास्ता महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए

यानी उस रास्ते पर कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पुरुष सामाजिक रूप से इकट्ठा होते हों।

- शौचालय के अन्दर पर्याप्त जगह और पानी होना चाहिए ताकि महिलाएं अपना कपड़ा/ नैपकिन बदल सकें और अपने निजी अंग धो सकें।
- शौचालय में शेल्फ, हुक या ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कपड़े और मासिक धर्म की सामग्री सुरक्षित और सूखी रखी जा सके।
- शौचालय में ढक्कन वाले कूड़ेदान रखे जाने चाहिए जहाँ पर महिलाएं सेनेटरी सामग्री का निपटान कर सकती हैं।
- मासिक धर्म की सामग्री को दूर ले जाने के बजाय शौचालय में ही इन्सिनेराटर (भस्मक) लगाना चाहिए जिसका शूट शौचालय की ईमारत से बिलकुल सटा होना चाहिए।
- शौचालय में इन्सिनेराटर लगाने के लिए एसएलडब्ल्यूएम के हिस्से की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आईईसी योजना में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए जिससे किशोरियों, किशोरों, पुरुषों और महिलाओं में जागरूकता बढ़े। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के दिशा-निर्देशों में संभावित व्यवधानों का वर्णन है।
- आईईसी की गतिविधियों द्वारा यह प्रयास करना चाहिए कि मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं और अंधविश्वासों को समुदायों से हटाया जाए। इस प्रसंग में धार्मिक नेताओं को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- नागरिक समाज संस्थाओं (सीएसओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता से समुदाय में सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता की प्रथाओं का प्रचार करना होगा और साथ ही साथ कम लागत के सेनेटरी पैड बनाने के आर्थिक मॉडल का विकास करना होगा।
- कई अध्ययनों से पता चलता हैं कि जब किशोरियों के पिताओं को उनकी पुत्रियों की मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन से जुड़ी ज़रूरतों के बारे में अवगत कराया जाता है, तो वे उनके सबसे बड़े चैंपियन बन जाते हैं और इसलिए समुदाय से बातचीत में पिताओं के लिए ख़ास संदेश शामिल करना चाहिए।
- स्कूलों में किशोर और किशोरियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए, उन्हें स्कूल के समय खुला रखना चाहिए और उनमें मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान की प्रणाली को स्थापित करना चाहिए।

- यह दोहराया गया है कि स्कूलों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की सुविधाएं देने का कार्य एसबीएम के एसएलडब्ल्यूएम भाग के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें संचार कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा निर्माण भी शामिल हो सकता है।
- किशोरियों के विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में योग्य विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सत्र व मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्धित जानकारी के सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार, समुदाय में महिलाओं के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनवाडी में योग्य विशेषज्ञों द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कैंप आयोजित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

11. एसबीएम-जी का क्रियान्वयन समग्र रूप से इस प्रकार से होना चाहिए कि वह न केवल लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो, बल्कि वह किशोरियों और महिलाओं के सशक्तिकरण का मंच बन जाए और जो मानव की गरिमा को महत्व दे। इस उददेश्य के लिए, इस कार्यक्रम को न केवल किशोरियों और महिलाओं पर केन्द्रित होना चाहिए बल्कि किशोरों और पुरुषों पर भी, ताकि सभी रोज़मर्रा की स्वच्छता प्रथाओं की बारीकियों को जान और समझ सकें।